कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर

पत्रांक 2051 / 14-16 दिनांक जौनपुर दिसम्बर, 20 ,2016

सेवा में,

टेरिटरी मैनेजर, रिटेल
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
ग्राम–सरेसर, आलमपुर पो0–सकलडीहा रोड़
मुगलसराय–232101

विषयः– **भारत पेट्रो0 कार्पोरेशन लि0, चन्दौली द्वारा खाता/खतौनी नं0 802/2 ग्राम–कोदहूं थाना–मुगराबादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर में इलहाबाद–गोरखपुर मार्ग (एस0एच0–07) के किमी0 संख्या 45 से 46 के मध्य, रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के प्रवेश व निकासी मार्ग हेतु 0.06795 हे0 सरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

सन्दर्भः– **विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या–पी–163/14–2–2016–800(166)/2016 दिनांक 12.12.2016।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन कतिपय शर्तो के साथ प्रश्नगत् रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकासी मार्ग हेतु संरक्षित वनभूमि के प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शर्तो को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. **शर्त संख्या 1–** इस आशय की वचनबद्धता कि वनभूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. **शर्त संख्या 2–** सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो सम्बन्धित सहमति पत्र।
3. **शर्त संख्या 3–** फ्यूल स्टेशन में पूरे परिसर में कम दूरी पर (1×1.5) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय, जो बाहरी दिवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा सम्बन्धित सहमति पत्र।
4. **शर्त संख्या 4–** सम्पर्क मार्ग से प्रेटर आइस लैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
5. **शर्त संख्या 5–** प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
6. **शर्त संख्या 6–** इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) होगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
7. **शर्त संख्या 7–** मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार व (नोडल कार्यालय द्वारा जनरेट चालान के अनुसार) शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, उ0प्र0, कैम्पा खाता सं0–15090OTHERS201132016623, आई0एफ0एस0सी0 कोड़–CORP0000633, ''कार्पोरेशन बैंक, एफ.सी.एस. बंगलौर 21/1, थर्ड फ्लोर, जेलिता टावर्स, मिशन रोड़, बंगलौर–560027'' के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत करें।

क्रम सं0	विवरण	मद	प्रस्तावित धनराशि (रू0में)
1	2	3	4
1	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.06795 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (6.26 लाख प्रति हे0 की दर से)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य	42,537.00
2	शर्त संख्या–27 के अनुपालन में 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव	(C.A) क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1,44,600.00
		योग–	1,87,137.00

8. **शर्त संख्या 8**– उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिंया ''प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25230, कारपोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–।। भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–।, लोधी रोड़, नई दिल्ली'' के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत करें।
9. **शर्त संख्या 9**– वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा सम्बन्धित सहमति।
10. **शर्त संख्या 11**– प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के संरक्षण सम्बन्धि सहमति पत्र।
11. **शर्त संख्या 12**– प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धित सहमति पत्र।
12. **शर्त संख्या 13**– प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी, अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधिन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेगें यदि उक्त व्यक्तिों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा सम्बन्धित सहमति पत्र।
13. **शर्त संख्या 14**– उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत् अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वनविभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी सम्बन्धित सहमति पत्र।
14. **शर्त संख्या 15**– भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–।–11013/41/2006–।ए0–एच9(।), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टी से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
15. **शर्त संख्या 16**– उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, सम्बन्धित सहमति पत्र।
16. **शर्त संख्या 18**– इस आशय की वचनबद्धता कि यदि इस अवधि में एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
17. **शर्त संख्या 19**– इस आशय की वचनबद्धता कि यदि प्रश्नगत् परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत् भूमि सेंन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

18. **शर्त संख्या 22**– इस आशय की वचनबद्धता कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
19. **शर्त संख्या 23**– इस आशय की वचनबद्धता कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
20. **शर्त संख्या 24**– इस आशय की वचनबद्धता कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2104 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
21. **शर्त संख्या 25**– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिससे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
22. **शर्त संख्या 26**– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या– एफ0एन0 सं0– 11–268/2014 एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करें।
23. **शर्त संख्या 27**– 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव सम्बन्धित धनराशि उपरोक्तानुसार कैम्पा खाते में जमा करें व पावती प्रस्तुत करें।
24. **शर्त संख्या 28**– वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही हो रहा है से सम्बन्धित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
25. **शर्त संख्या 29**– प्रयोक्ता एजेन्सी उपरोक्तानुसार शर्तो का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने सम्बन्धित सहमति।

भवदीय

(एच0राजामोहन)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि– उक्त के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

(एच0राजामोहन)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।